राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 1260/2012/उदयपुर

मैसर्स प्रमोद सिसोदिया,
नारायण सेवा संस्थान के पास,
हिरणमगरी, उदयपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम

1. उपायुक्त (अपील्स),
   वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर।
2. सहायक आयुक्त,
   वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, उदयपुर।

....प्रत्यर्थीगण.

एकलपीठ
श्री अमर सिंह – सदस्य

उपस्थित : :

श्री एस.के.गंगवानी,
अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थीगण की ओर से.

निर्णय दिनांक : 19/02/2014

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003, सपठित धारा 82 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) के अन्तर्गत पारित अपील संख्या 280/वैट/संशो./2010–11 एवं 281/वैट/संशो./2010–11 में पारित किये गये निर्णय दिनांक 23.02.2012 के विरूद्ध धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी ठेकेदारी का कार्य करता है। अपीलार्थी व्यवहारी का सहायक आयुक्त, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, उदयपुर (जिसे आगे **''कर निर्धारण अधिकारी''** कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 02.11.2010 को अपीलार्थी के कर निर्धारण वर्ष 2008–09 का कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए वसूली योग्य मांग राशि 88,643/– आरोपित की। इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यहवारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 13.09.2011 के द्वारा अपीलार्थी की अपील को अस्वीकार कर दिया। अपीलीय अधिकारी के इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा धारा 33 के अन्तर्गत पुनः संशोधन करने हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र (अपील) पेश किया। अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 23.02.2012 के द्वारा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिया। अपीलीय अधिकारी के इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गयी है। जिसमें शास्ति के बिन्दु पर विवादित राशि 7,184/– को विवादित किया गया है।

लगातार.....2

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि धारा 58 के तहत कोई भी शास्ति नोटिस दिये बिना आरोपित नहीं की जा सकती है। इस प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना कोई कारण बताओ नोटिस दिये शास्ति आरोपित की गयी है, जो नियम विरूद्ध है तथा ऐसे प्रकरण में अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण को प्रतिप्रेषित करना पूर्णतया अवैधानिक है। अतः प्रतिप्रेषित आदेश को निरस्त कर शास्ति को अपास्त किया जावें व अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुये बताया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा उचित रूप से सुनवाई का अवसर दिये जाने के लिए प्रकरण को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है। अतः अपील अस्वीकार की जावें।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई तथा रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा CTO, Jodhpur V/s M/s Bilara Cement Pvt. Ltd., Jodhpur Tax World Vol. XIII Page 41 Order Date 20th Feb., 2010, माननीय विक्रय कर अधिकरण की खण्ड़पीठ के निर्णय (1990) 7 आर.टी.जे.एस. 158 ए मैसर्स गांधी मशीनरी एण्ड स्पेयर, झूंझूनु बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, झूंझूनु एवं माननीय विक्रय कर अधिकरण की खण्ड़पीठ के निर्णय माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय डी.बी./सिविल रिट पीटिशन क्रमांक 1653 मैसर्स जयपुर मेटल एण्ड इलेक्ट्रकल्स लि0 बनाम द यूनियन ऑफ इण्डिया निर्णय दिनांक 05.07.1982 का हवाला देकर कर निर्धारण अधिकारी को पुनः शास्ति आरोपित करने के सम्बन्ध में सुनवाई का अवसर दिये जाने व गुणावगुण पर निर्णय करने के लिये प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया है। उक्त निर्णय के सन्दर्भ में अपीलीय अधिकारी का निर्णय उचित है। अतः अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखते हुए कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित आदेश को कायम रखा जाता है।

7. फलतः अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

19-2-14

(अमर सिंह)
सदस्य